

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08102025-266790
SG-DL-E-08102025-266790असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]	दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 271
No. 303]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947	[N. C. T. D. No. 271

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2025

फा. सं. 13 (626)/यूडी/एलबी/सीडी 021811815/433.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 347क की उपधारा (2) के साथ पठित अधिनियम, 1993 (2023 में यथासंशोधित) की धारा 45घ (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अमित कुमार को अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली नगर निगम के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, विशेष सचिव-1

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 6th October, 2025

F. No. 13(626)/UD/LB/CD 021811815/433.— In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 347A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) read with Section 45D(a) of Act, 1993 (as amended in 2023), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Amit Kumar, an officer of the Delhi Higher Judicial Services, on deputation basis for a period of one year with effect from the date of Notification, as Presiding Officer of Appellate Tribunal, Municipal Corporation of Delhi.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A. K SINGH, Spl. Secy.-II